



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 666 राँची, शुक्रवार, 19 कार्तिक, 1945 (श०)
10 नवम्बर, 2023 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 नवम्बर, 2023

संख्या-4/सै०क० (विविध)-108/15-6227--भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन एवं पुनर्वास के लिये “विशेष निधि की प्रशासन समिति” गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-379, दिनांक 24.01.2023 द्वारा दो वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन एवं पुनर्वास के लिये “समामेलित निधि की राज्य प्रबंधन समिति (State managing Committee of Amalgamated Fund) का पुनर्गठन दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 30.06.2025 तक निम्न रूपेण किया जाता है -

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. अध्यक्ष | - | माननीय राज्यपाल, झारखण्ड। |
| 2. प्रथम उपाध्यक्ष | - | मुख्य सचिव, झारखण्ड। |
| 3. द्वितीय उपाध्यक्ष | - | सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। |
| 4. तृतीय उपाध्यक्ष | - | सेना के वरिष्ठ अधिकारी यथा जी०ओ०सी०, 23-इन्फैन्ट्री डिवीजन द्वारा 56 ए०पी०ओ०। |
| 5. सदस्य | - | अवर सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक, आर०के० पुरम, नई दिल्ली। |

- | | | | |
|-----|----------------|---|--|
| 6. | सदस्य | - | रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी। |
| 7. | विशेष आमंत्रित | - | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड। |
| 8. | विशेष आमंत्रित | - | अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड। |
| 9. | विशेष आमंत्रित | - | महानिदेशक, पुनर्वासि, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। |
| 10. | विशेष आमंत्रित | - | सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली। |
| 11. | विशेष आमंत्रित | - | निदेशक, पुनर्वासि, सेन्ट्रल जोन, पुनर्वासि मुख्यालय, मध्य कमान, लखनऊ। |
| 12. | विशेष आमंत्रित | - | कमाण्डर, झारखण्ड एवं बिहार-सब एरिया, दानापुर कैण्ट, पटना। |
| 13. | सदस्य सचिव | - | निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
